27.10.2021

पत्रावली प्रार्थनापत्र 70–क पर आदेश हेतु प्रस्तुत की गई। प्रार्थनापत्र 70–क पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र 70–क का निस्तारण

यह प्रार्थनापत्र समर्थित शपथपत्र 71ग कालीचरन प्रार्थी / अपीलार्थीगण की ओर से इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रकीर्ण अपील में न्यायालय द्वारा आदेश दि० 26.02.2021 पारित कर उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए मीमो ऑफ अपील में संशोधन करने हेतु निर्देशित किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित प्रस्तावित संशोधन को मीमो ऑफ अपील में समाविष्ट किए जाने की अनुमति चाही गयी है।

प्रत्यर्थीगण की ओर से लिखित में कोई आपत्ति नहीं की गई है। बल्कि मौखिक रूप से आपत्ति की गई।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.02.2021 में दिए गए निर्देश के अनुपालन में अपीलार्थीगण द्वारा यह संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र 70क स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/ अपीलार्थीगण का प्रार्थनापत्र 70क स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थीगण के

Digitally signed by Ram Prakash Pandey
Date: 2021.11.01 11:16:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जारी–27.10.2021

विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अंदर 7 (सात) दिन प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र में वर्णित प्रस्तावित संशोधन मीमो ऑफ अपील में यथास्थान समाविष्ट करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11.11.2021 को पेश हो। T.I. नियत दिनांक तक प्रभावी रहेगा।

(राम प्रकाश पाण्डेय)

ID–UP5931

अपर जिला जज, न्यायालय सं०–3, मथुरा।